संयुक्त प्रक्रिया आदेश

(Authority: Railway Board letter No.97/Sec(Cr)/45/91 dt. 20.08.1997)

विषयः–रेल यात्रियों के साथ ट्रेन में अपराधिक घटना घटित होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित कार्यवाही के संबंध में संयुक्त प्रक्रिया आदेश।

****

1. सभी रे0सु0ब0 ट्रेन एस्कोर्ट पार्टी, रे0सु0ब0 पोस्ट/आउट पोस्ट, रिजर्व कंपनी, रे0सु0ब0 बूथ, कोच कन्डक्टर, कोच अटेन्डेंट, ट्रेन गार्ड, ट्रेन सुपरिटेन्डेन्ट, स्टेशन मास्टर, स्टेशन अधीक्षक/उप स्टेशन अधीक्षक (वाणिज्य) सभी के पास FIR फार्म/शिकायत फार्म द्विभाषी (अंग्रेजी/हिन्दी) में पर्याप्त संख्या में (कम से कम 50–60 की संख्या में) मौजूद रहना चाहिये। सभी संबंधित स्टाफ/सुपरवाईजर अपनी ड्यूटी के दौरान इसको अपने पास रखना सुनिश्चित करेंगे।
2. सभी संबंधित रेल कर्मचारी एवं रे0सु0ब0 स्कार्ट पार्टी को शिकायत फार्म भरने के बारे में संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों/वरिष्ठ अधीनस्थों द्वारा समय–समय पर ब्रीफ किया जाय।
3. सभी संबंधित रेल कर्मचारी (कोच अटेन्डेंट, टी0टी0ई0, ट्रेन गार्ड आदि) एवं रे0सु0ब0 स्कार्ट पार्टी जो कि ट्रेन/प्लेटफार्म पर मौजूद है पीड़ित यात्री द्वारा एफ0आई0आर0/शिकायत फार्म देने पर उसे लेने हेतु बाध्य होंगे जिसको नजदीकी रे0सु0ब0 पोस्ट के माध्यम से संबंधित जी0आर0पी0 को यह एफ0आई0आर0/शिकायत फार्म आगे की कार्यवाही के लिये सुपुर्द किया जायेगा।
4. सभी पोस्ट/आउटपोस्ट इंचार्ज एफ0आई0आर0/शिकायत फार्म प्राप्त होने पर तत्काल इस संबंध में रोजनामचा में प्रविष्टि दर्ज करेंगे साथ ही FIR में वर्णित विवरण को एक अलग रजिस्टर में तिथि अनुसार क्रम से दर्ज करेंगे। एक प्रति अपने पास रखकर मूल शिकायत की प्रति को सम्बन्धित जी0आर0पी0 थाना के सुपुर्द कर इसकी पावती लेंगे।
5. मामला दर्ज होने एवं न होने के सम्बन्ध में जी0आर0पी0 थाने से जानकारी लेंगे तथा इस सम्बन्ध में वरि0मण्डल सुरक्षा आयुक्त को कंट्रोल रूम द्वारा सूचित करेंगे। मामला दर्ज न होने की स्थिति में वरि0मण्डल सुरक्षा आयुक्त संबंधित रेल पुलिस अधीक्षक से समन्वय बनाकर इसका निपटारा करवायेंगे एवम् क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को सूचित करेंगे।
6. सम्बन्धित पोस्ट प्रभारी मामला पंजीकृत होने पर पीड़ित यात्री को मोबाइल द्वारा SMS भेजकर सूचित करेंगे एवं कृत कार्यवाही रिपोर्ट रोजनामचा में दर्ज करेंगे।
7. सम्बन्धित रेल कर्मचारी (ट्रेन स्टाफ) एवं रे0सु0ब0 गाड़ी अनुरक्षण पार्टी ट्रेन में पीड़ित यात्री से FIR फार्म/शिकायत फार्म लेने/भरवाने के पश्चात् सम्बन्धित रे0सु0ब0 कंट्रोल रूम के साथ ही अपने–अपने सुपरवाईजर को फोन द्वारा सूचित करेंगे। यात्री से सहानुभूतिपूर्वक बातचीत करेंगे, पीड़ित यात्री द्वारा दिया गया FIR फार्म/शिकायत फार्म अगले ट्रेन स्टापेज जहाँ पर रे0सु0ब0 स्टाफ उपलब्ध है उसके सुपुर्द करेंगे तथा एक पावती अपने पास रख कर उसको अपने–अपने कार्यालय में जमा करवायेंगे। किसी भी परिस्थिति में यात्री को अपनी यात्रा ब्रेक कर रिपोर्ट लिखाने या गंतव्य स्थल पर रेलवे प्रक्रिया में रिपोर्ट देने की सलाह नहीं देंगे।
8. सभी रे0सु0ब0 पोस्ट/आउट पोस्ट इंचार्ज, जिन पीड़ित यात्रियों के केस जी0आर0पी0 द्वारा दर्ज नहीं किया गया है उसकी हर पन्द्रह दिन में समरी बनायेंगे एवं वरि0 मण्डल सुरक्षा आयुक्त को आगे की कार्यवाही हेतु सूचित करवायेंगे। वरि0 मण्डल सुरक्षा आयुक्त ऐसे मामलों को संबंधित एस0आर0पी0 से निपटारा करवायेंगे तथा महीने के अन्त में एक सूची मुख्यालय में भेजेंगे।
9. जिस गाड़ी में रे0सु0ब0 अनुरक्षण पार्टी उपलब्ध नहीं है या सम्बन्धित कोच पर किसी भी कारणवश नहीं पहुँच पाती है ऐसी स्थिति में ट्रेन स्टाफ, टी0टी0ई0, कोच अटेन्डेंट, ट्रेन गार्ड, ट्रेन सुपरीटेन्डेंट

लगातार पेज नं0–2.....

यात्री से FIR फार्म/ शिकायत फार्म भरने के लिये अनुरोध करेंगे एवं शिकायत फार्म भरवायेंगे तथा अगले स्टेशन पर रे0सु0ब0 पोस्ट पर जांच करेंगे एवं पावती लेंगे। रे0सु0ब0 इंचार्ज इसे जी0आर0पी0 थाना में जमा करायेंगे।

10. सभी रे0सु0ब0 गाड़ी अनुरक्षण स्टाफ, कोच अटैन्डेंट, टी0टी0ई., ट्रेन गार्ड आदि के पास आवश्यक टेलीफोन नम्बर एक पाकेट बुक में नोट होना चाहिये ताकि समय पर इसकी तत्काल उपयोग हो सके।

11. मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक हिन्दी/अंग्रेजी द्विभाषा में FIR फार्म/शिकायत फार्म पर्याप्त संख्या में छपवाने के पश्चात् सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेंगे।

पत्रांकः–08–रे0सु0ब0/सी0आर0–02/गाड़ी अनु0/उ0म0रे0/14
दिनांकः 31.07.2014

31/07/2014	31/7/14	31-07-14
(मुख्य परिचालन प्रबन्धक) उ0म0रे0	(मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक) उ0म0रे0	(मुख्य सुरक्षा आयुक्त) उ0म0रे0